अतिमहत्वपूर्ण / समयबद्ध

**कार्यालय जिला पंचायत राज अधिकारी बस्ती ।**

पत्रांक 1630 / 7–पंचायत / स्व0भा0मि0(ग्रा0) / FSM / 2025–26 दिनाँक– 23 -6- 2025

1. समस्त, खण्ड विकास अधिकारी
2. समस्त,सहायक विकास अधिकारी(पं0)
   जनपद–बस्ती।

---

**विषयः– स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत फीकल स्लज मैनेजमेन्ट इकाई की स्थापना हेतु आवश्यकतानुसार भूमि चिन्हांकन कराये जाने के मांग सम्बन्ध में।**

–:–:–:–:–

**महोदय,**

उपर्युक्त विषयक मिशन कार्यालय के पत्र संख्याः–5 / 555 / 2025–26 / 02 / 2022 लखनऊ दिनांक 18.06.2025 **(छायाप्रति संलग्न)** एवं पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार के पत्र संख्या–एस–18 / 7 / 2025–SBM–III–DDWS दिनांक 20 मार्च 2025 के माध्यम से दिनांक–10 मार्च 2025 को भारत सरकार के साथ सम्पन्न बैठक में प्रदत्त निर्देशों के अनुपालनार्थ FSM हेतु योजना बनाया जाना एवं लागू किया जाना है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार उपलब्ध कराये गये Manual: Faecal sludge Management–2021 में उल्लेखित व्यवस्थाओं के आधार पर भूमि चयन एवं अन्य कार्यवाही किया जाना समीचीन होगा।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अन्तर्गत स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना–2025–26 में फीकल स्लज मैनेजमेन्ट इकाई की स्थापना हेतु 150 इकाई स्वीकृत है। जिसकी स्थापना हेतु कार्यवाही की जा रही है। भारत सरकार द्वारा स्वीकृति के अनुसार प्रति जनपद 02 इकाई का निर्माण कराया जाना है। ऐसे जनपद जहां नगर विकास विभाग द्वारा एफ0एस0टी0पी0 / एस0टी0पी0, को–ट्रीटमेन्ट इकाई की स्थापना नही है, ऐसे जनपदों में प्राथमिकता के आधार पर इकाई का निर्माण कराया जायेगा।

**वार्षिक कार्य योजनानुसार फीकल स्लज मैनेजमेन्ट इकाई की स्थापना हेतु जनपदों में कम से कम 02 स्थल चिन्हित किये जाने आवश्यक हैं।** FSTP निर्माण में स्थल का चयन एक महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया है, इस प्रकिया में निम्नलिखित बिन्दुओं का संज्ञान लिया जाना आवश्यक है–

1. **पर्याप्त भूमि उपलब्धता।**
   - ✓ FSTP की क्षमता के अनुरूप भूमि की उपलब्धता।
   - ✓ सामान्यतः 6–10 KLD FSTP के लिए प्रति इकाई लगभग 1 एकड़ भूमि की आवश्यकता।
   - ✓ जनपद में ऐसी स्थल / भूमि का चयन किया जाना चाहिए, जिससे अधिक से अधिक विकास खण्डों के ग्रामों को आच्छादित किया जा सके। जिनकी प्रस्तावित FSTP से अधिकतम दूरी 15 Km एवं पहुंच मार्ग सुगम हो।
2. **भू–जल स्तर एवं भूमि का प्रकार।**
   - ✓ जलभराव रहित, समतल और ठोस भूमि होनी चाहिए।
   - ✓ भूमि ऐसी हो जहाँ भूजल स्तर अधिक ऊँचा न हो ताकि प्रदूषण की संभावना से बचा जा सके।
3. **लोकेशन (लोकेशन)।**
   - ✓ नगरीय या ग्रामीण आबादी से न्यूनतम 250–500 मीटर की दूरी।
   - ✓ रिहायशी क्षेत्र से पर्याप्त दूरी बनाए रखना जरूरी है ताकि दुर्गंध, शोर या संक्रमण की समस्या न हो।
4. **पहुँच मार्ग (Accessibility)।**
   3. स्थल तक टैंकर्स की आवागमन के लिए उपयुक्त सड़क मार्ग हो।
   4. पूरे वर्ष सड़क सुगम और उपयोग में रहने योग्य हो।
5. **जल निकासी एवं वर्षा जल प्रबंधन।**
   - ✓ उचित जल निकासी (drainage) की व्यवस्था।
   - ✓ वर्षा के जल के निकास की समुचित व्यवस्था।



Scanned with CamScanner

6. **पर्यावरणीय स्वीकृति और नियम।**

✓ भूमि पर कोई पर्यावरणीय प्रतिबंध न हो (जैसे– वन क्षेत्र, जलाशय, नदी तट आदि)।

✓ राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमोदन के अनुरूप।

✓ स्थानीय समुदाय की सहमति।

✓ भूमि चयन से पहले ग्राम पंचायत/नगर निकाय और समुदाय से परामर्श आवश्यक।

✓ सामाजिक स्वीकृति से प्रोजेक्ट की स्थिरता सुनिश्चित होती है।

✓ आबादी से दूरी, जलभराव कि स्थिति, जलाशय से निश्चित दूरी आदि (According to SWM Rule 2016) का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए।

7. **भूमि का स्वामित्व।**

✓ सार्वजनिक भूमि को प्राथमिकता दें, ताकि अधिग्रहण की प्रक्रिया आसान हो

✓ यदि निजी भूमि ली जाए, तो स्पष्ट स्वामित्व दस्तावेज और सहमति आवश्यक है।

8. **निकटवर्ती संसाधनों की उपलब्धता।**

✓ बिजली, पानी, और अन्य आवश्यक संसाधन स्थल के समीप हों।

✓ प्लांट के संचालन में 30 किलोवाट से अधिक बिजली एवं 05 किलो ली0 से अधिक पानी की आवश्यकता होगी इसलिये चयनित की जाने भूमि, बिजली एवं जल स्रोत के निकट की जानी होगी।

✓ भूमि के चयन में कैचमेंट एरिया (जिन ग्राम पंचायतों में सेप्टिक टैंक अधिक संख्या में हैं) की निकटता सुनिश्चित किया जाना चाहिए। (कम से कम 3000सेप्टिक टैंक)

✓ ठोस अपशिष्ट प्रबंधन या वर्मी कम्पोस्ट इकाई से निकटता लाभकारी हो सकती है।

9. **भविष्य में विस्तार की संभावना।**

✓ भविष्य में बढ़ती आवश्यकता के अनुसार प्लांट के विस्तार के लिए अतिरिक्त भूमि होनी चाहिए।

10. नगर विकास विभाग द्वारा निर्मित एफ0एस0टी0पी0/एस0टी0पी0, को–ट्रीटमेन्ट इकाई की भौगोलिक स्थिति के अनुसार भूमि का चिन्हांकन किया जाना उचित होगा।

उक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि जनपद में 02 FSTP अनुरुप भूमि चिन्हांकन/आवन्टन कराते हुये मिशन कार्यालय,स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) उ0प्र0 को दिनांक–30 जून, 2025 तक सूचित प्रेषित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

निर्मित किये जाने वाले प्लांट में नगरीय क्षेत्रों के फीकल स्लज का भी प्रबन्धन किया जाना प्रस्तावित है। इसलिए उचित होगा कि उन क्षेत्रों की सुलभता को भी दृष्टिगत रखा जाये।

अतः उपरोक्तानुसार दिये गये निर्देशों के अनुपालन हेतु अपने विकास खण्ड की किसी 01 ग्राम पंचायत का स्थल/भूमि का चिन्हांकन कर, ग्राम भूमि प्रबन्धन समिति से अनुमोदन प्राप्त कर समस्त अभिलेखों के साथ **(खसरा, खतौनी, ग्राम सभा की बैठक की कार्यवाही रजिस्टर, स्थल का नजरी नक्शा, लेखपाल की संस्तुति सहित) दिनांक–25 जून, 2025** तक प्रत्येक दशा में मांग पत्र अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें, ताकि शासन स्तर से धनराशि की मांग हेतु जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वच्छ भारत मिशन मैनेजमेंट कमेटी बस्ती के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जा सके।

<u>**संलग्नक–उपरोक्तानुसार।**</u>

23/06/25

(घनश्याम सागर)
जिला पंचायत राज अधिकारी
बस्ती।

पत्रांक 1630 /तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ वं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. उपनिदेशक(पं0) बस्ती मण्डल, बस्ती।
2. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, बस्ती की सेवा में सादर सूचनार्थ।
3. जिलाधिकारी महोदय, बस्ती की सेवा में सादर अवलोकनार्थ।
4. निदेशक, पंचायतीराज/मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन(ग्रा0) उ0प्र0 लखनऊ

23/06/25
जिला पंचायत राज अधिकारी
बस्ती

c:\users\raja\desktop\letter 2025-26.docx

Scanned with CamScanner